राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / एन.एच.एम. / एन.टी.सी.पी. / 2015 / 13 भोपाल, दिनांक 02-04-16

प्रति,

1. क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
   (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा एवं सागर संभाग)
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.।

विषय : **भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के पूर्णतः परिपालन बाबत्।**

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 की धारा 4,5,6, एवं 7 का पूर्णतः परिपालन नहीं किया जा रहा है। विश्व में प्रतिवर्ष 50 लाख लोग और भारत में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ तम्बाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है। भारत सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिये **सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003)** बनाया है। अतः म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (**COTPA**) 2003 के विभिन्न धाराओं का कड़ाई से पालन करने हेतु कटिबद्ध है। अतः आप सभी से सहयोग अपेक्षित है। यह निर्देशित विधि के प्रावधानों के पालन एवं तम्बाकू के उपयोग से होने वाली जनहानि को रोकने के उद्देश्य से जारी किये जा रहे है।

धारा 4

धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे भाासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शापिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एअरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200/– रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

आप अपने विभाग / कार्यालय / संस्थान / व्यापारिक प्रतिष्ठान में सुनिश्चित करें कि –

- निम्न प्रारूप के धूम्रपान निषेध संबंधी न्यूनतम 60 X 30 से.मी. आकार के बोर्ड लगे हो।

- तम्बाकू नियंत्रण कानून के अन्तर्गत यह बोर्ड लगाना मालिक या प्रबंधक की जिम्मेदारी है।
- इस हेतु आपके विभाग / कार्यालय / संस्थान / व्यापारिक प्रतिष्ठान में अधिकारी को अधिकृत करे ताकि वो निगरानी कर विभाग / कार्यालय / संस्थान / व्यापारिक प्रतिष्ठान में धूम्रपान करने वालो को अर्थ दण्ड कर सके।
- तम्बाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन की सूचना देने के लिये संस्थान में शिकायत अधिकारी का नाम उल्लेखित किया जाए जैसे –

श्री / श्रीमती .....

स्थान / संस्थान का नाम
फोन नं.

- संस्थान में कोई धूम्रपान ना करे, अगर आपके संस्थान, कार्यालय में कोई धूम्रपान करते हुए मिलता है और आप कोई कार्यवाही नही करते है तो अर्थदण्ड आपसे भी वसूला जायेगा।
- धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली कोई वस्तु जैसे – एश ट्रे, लाईटर आदि ना हो।
- सुनिश्चित करे की होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादी में कोटपा की विभिन्न धाराओं का पूर्णतः परिपालन हो।

नये लाईसेन्स में सुनिश्चित करें की होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादी कोटपा की विभिन्न धाराओं का पूर्णतः परिपालन करें। धारा 4 में वर्णित सभी मापदण्ड को लागू करे। यदि होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट इत्यादी ने तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA 2003) की धारा के किसी भी मापदण्ड का उल्लंघन किया है तो उसके लाईसेन्स को भी निरस्त करने की कार्यवाही करे।

धारा 5 के अन्तर्गत

- तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्णतः रोक है जिनमें आकर्षित करने वाली योजनाएं, मुफ्त नमूनों का वितरण, तम्बाकू के ब्रांड के नाम पर किसी दुसरे उत्पाद को बेचना आदि शामिल है।

- तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर लगाए जाने वाले बोर्ड पर सिर्फ तम्बाकू उत्पादों के किस्म की सूचि होगी और बोर्ड पर ब्रांड या अन्य अभिव्रद्दीकारक सन्देश या चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाएँगे। ऐसे बोर्ड को पीछे से प्रकाशमय नहीं किया जायेगा।

- किसी भी भंडार गृह या दुकान जहाँ सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जाता हो वहाँ के प्रवेश द्वार पर विज्ञापन के लिए प्रयुक्त बोर्ड आकार 60 से.मी. X 45 से.मी. से अधिक नहीं होगा का और निम्न प्रारूप के बोर्ड लगाये जा सकते है।

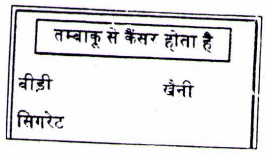

- ऐसे बोर्ड पर हिन्दी/अंग्रेजी में बोर्ड के किनारे पर 20X15 से.मी. की चेतावनी तम्बाकू से कैंसर होता है या तम्बाकू से मौत होती है सफेद पृष्टभूमि पर लिखी होनी चाहिए।

- स्थान का मालिक या प्रबंधक तम्बाकू उत्पादों को ऐसे प्रदर्शित नहीं करेगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सहज रूप से दृश्य हो।

धारा 5 के उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड

यदि कोई धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो धारा 22 के तहत :–

- प्रथम बार उल्लंघन के मामलें में दो वर्ष तक कारावास एवं राशि रूपये 1000/– तक जुर्माना।

- दुसरी बार उल्लंघन पर 5 वर्ष कारावास एवं पांच हज़ार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों।

- धारा 23 के तहत यदि कोई धारा 5 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो विज्ञापन या विज्ञापन सामग्री का सरकार द्वारा समपहरण किया जा सकेगा।

- धारा 5 के उल्लंघन करने पर पुलिस एवं राज्य औशध प्रशासन के उपनिरीक्षक और इससे ऊपर के अधिकारियो को प्रवेश करने, खोज करने और जब्त करने की शक्तिया है।

उपरोक्त अनुसार धारा 5 के उल्लंघनो की समीक्षा करे और समय समय पर अभियान चलाकर तम्बाकू उत्पाद की दुकानों एवं अन्य जगहों पर तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों हो हटाने की कार्यवाही करें।

धारा 6 के अन्तर्गत

इस कानून की **धारा 6क** के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र को/के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।

6ख के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की दुकान प्रतिबंधित है । **धारा 6क व 6ख** का उल्लंघन करने वालों पर भी **200/– रुपये** तक जुर्माने का प्रावधान है। आपे जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित करे कि –

धारा 6 क व ख के सन्दर्भ में सुनिश्चित करें की :

धारा 6क के तहत :

1 तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर 30X60 से.मी. का निम्न प्रारूप का बोर्ड लगा हो।

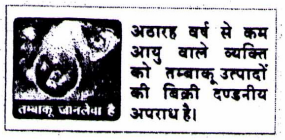

2 तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर नाबालिगो को तम्बाकू उत्पाद नही बेचे जाये।
3 नाबालिगो द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाये।

धारा 6 ख के तहत :

1 शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली कोई दुकान न हो।
2 शैक्षणिक संस्थानों के मुख्य द्वार पर निम्नलिखित प्रारूप का बोर्ड लगा हो।

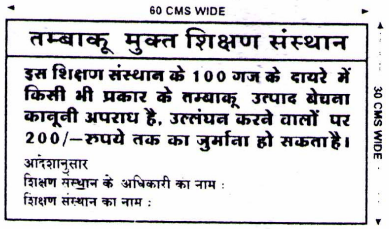

धारा 6क और 6ख के उल्लंघन में किये गये अपराधों के लिये प्रधानाचार्य, शिक्षा विभाग के निरीक्षक रेंक के अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड विस्तार अधिकारी, खण्ड विस्तार प्रशिक्षक कार्यवाही करने के लिये अधिकृत है।

धारा 4 एवं धारा 6 के उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये तक का अर्थदण्ड किया जा सकता है इसके लिये रसीद बुक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अर्थदण्ड द्वारा वसूली गई रकम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के 0210 अकाउंट हेड़ में जमा की जानी है।

धारा 7 के अन्तर्गत

तम्बाक नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।

- सभी तम्बाकू पदार्थो के 40 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां होनी चाहिए।
- तम्बाकू उत्पादों के लिए भ्रामक भाषा जैसे हल्का, मध्यम अति हल्का अथवा वर्णात्मक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध है।

धारा 7 के उल्लंघन पर जुर्माना (धारा 20 के तहत)

उत्पादक :

- प्रथम बार उल्लंघन करने पर 2 वर्ष कारावास अथवा पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों।
- दूसरी बार उल्लंघन पर 2 वर्ष कारावास एवं तीन हजार रूपये तक जुर्माना।

निम्नलिखित **बिन्दुओं पर आपकी कार्यवाही आवश्यक है :**

1. नये लाईसेन्स में सुनिश्चित करे की होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादी कोटपा की विभिन्न धाराओं का पूर्णतः परिपालन करे। धारा 4 में वर्णित सभी मापदण्ड को लागू करे। वर्तमान में यदि होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट इत्यादी ने तम्बाकू नियंत्रण कानून (**COTPA** 2003) की धारा के किसी भी मापदण्ड का उल्लंघन किया है तो उसके संबंध में उचित वैधानिक कार्यवाही करे।

2. होटल, बार, रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाऊस एवं अन्य खाने के स्थानों पर यदि कोई धूम्रपान के लिये गैर तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग करने का दावा करता है तो उस गैर तम्बाकू उत्पाद का सेम्पल राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।

3- लाईसेन्स धारक भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून की उपरोक्त वर्णित धाराओं का पालन सुनिश्चित करें अन्यथा संस्थान का लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है। साथ ही संस्थान में धूम्रपान हेतु निर्धारित कक्ष बनाने से पहले जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, के अधिकारी से अनुमति लेना सुनिश्चित करे। उक्त विधिक प्रावधानों का पालन एवं क्रियान्वयन किया जावें। जो व्यक्ति/संस्था उपयुक्त प्रावधानों का पालन नहीं करते है, उनके विरूद्ध उचित वैद्यानिक कार्यवाही कि जावे।

4. टी. एल की बैठक के दौरान तम्बाकू नियंत्रण कानून के परिपालन की गई कार्यवाही को बताएं।
5. समय–समय पर जिला तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक को आयोजित करें ।
6. प्रवर्तन दल गठित कर या अधिकृत अधिकारी को निदेर्शित करें की वह निरंतर निगरानी करें।
7. सभी तम्बाकू थोक व्यापारियों को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करें कि वे स्वयं एवं अपने खुदरा व्यापारियों द्वारा धारा 5, 6 एवं 7 के मापदण्डों को पुर्ण करें।
8. जो व्यक्ति/संस्था/व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपयुक्त प्रावधानों का पालन नहीं करते है, उनके विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावे।

(फ़ैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक
0/c राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.

क्रमांक/एन.एच.एम./ एन.टी.सी.पी./2015/14 भोपाल, दिनांक 02.01.16

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.।
3. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल म.प्र.।
4. समस्त जिला दण्डाधिकारी / अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति म.प्र.।
5. संचालक, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.।

मिशन संचालक
0/c राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.